राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 38/2015/उदयपुर.
2. अपील संख्या–1161/2015/उदयपुर.

मैसर्स राजमन्दिर इलेक्ट्रोनिक्स, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–डी, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25/04/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलें अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 192/वैट/13–14/उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 27.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 23(1) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 22.07.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही कर निर्धारण वर्ष/आदेश/अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी को कमी पूर्ति हेतु अतिरिक्त अपील सेट प्रस्तुत किये जाने की सूचना दिये जाने पर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अपील सेट पर पृथक से अपील नंबर इंद्राजित कर दिया गया। इस प्रकार एक ही कर निर्धारण आदेश / अपीलीय आदेश के विरूद्ध दो अपीलें दर्ज कर ली गयी। अतः दोनों अपीलें एक ही विवादित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की जाने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2009–10 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.7.2011 को डीम्ड असेसमेंट के रूप में वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत आदेश पत्र पर पारित किया गया जिसमें वार्षिक विवरणी के आधार पर आदेश किया जाना बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि व्यवहारी को

लगातार.....2

बिना किसी कारण पूछे विक्रय कर रूपये 1,09,95,565/— के स्थान पर रूपये 1,10,61,432/— निर्धारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष केवल यह प्रार्थना की गयी थी कि बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये त्रुटिपूर्ण कर गणना होने से पुनः जांचकर धारा 24 में आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे, परन्तु अपीलीय अधिकारी ने अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी का संक्षिप्त रूप से अपील अस्वीकार करने का आदेश विधिसमत नहीं है बल्कि न्यायहित में केवल यह आदेश देना उचित था कि प्रकरण में व्यवसायी को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः आदेश पारित कर, कर राशि की विधि अनुसार गणना की जावे। फलतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलार्थी की बिक्री अनुसार कर राशि की गणना कर आदेश पारित करें।

4. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रकरण उपरोक्तानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

5. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य